न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/284

1. मांगीलाल आयु 52 वर्ष आत्मज भूरा जाति धाकड निवीस ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सत्यनारायण आयु 38 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रमेश आयु 43 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति धाकड निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. पीताम्बर आयु 33 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मनभर आयु 53 वर्ष पत्नी रामस्वरूप जाति धाकड निवीस ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. कालू आयु 33 वर्ष आत्मज सुखदेव जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. तुलसी राम आयु 28 वर्ष आत्मज सुखदेव जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. पाना आयु 68 वर्ष पत्नी सुखदेव जाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश जिला, बून्दी ।
7. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमेश कुमार कहार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मनभर बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा, विभाजन भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 324 की आराजी खसरा नम्बर 536 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 650 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 651 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 653 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 655 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 656 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 867 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1308 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1309 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1317 रकबा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1366 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम गुढादेवजी में खाता संख्या 325 की खसरा नम्बर 866 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । खाता संख्या 507 की खसरा नम्बर 638 रकबा 16 बिस्वा एवं खाता संख्या 546 की खसरा नम्बर 1798/915 रकबा 04 बीघा भूमि स्थित है । चरण संख्या में वर्णित भूमि में वादिया के पुत्र रामकिशन व वादिया के पति रामस्वरूप के एवं प्रतिवादीगण मांगीलाल, कालू, तुलसीराम, पाना के संयुक्त खाते एवं आधिपत्य की भूमि है जिसमें वादिया के पति व पुत्र का 1/4 हिस्सा है । वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी मांगीलाल एवं रामकिशन, रामस्वरूप व वादिया के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमियॉ थी जिसमें वादिया एवं रामकिशन, रामस्वरूप का 1/2 हिस्सा था । वर्तमान में चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 सत्यनारायण ने अवैध व अनाधिकृत रूप से अपने आपको वादिया के पुत्र रामकिशन का पुत्र बताकर प्रार्थिया के आस्तित्व को छिपाते हुए अपने नाम इंतकाल खुलवा लिया जो प्रारम्भ से ही शून्य है । वादिया को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी क्रम 1 सत्यनारायण का नाम वादग्रस्त आराजी से विलोपित करवाकर उसके स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाए और उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादिया को रामकिशन व रामस्वरूप के स्थार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे । वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का हिस्सा 1/4 एवं चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का 1/2 के अनुसार विभाजन कर विभाजित हिस्से पर वादिया को आधिपत्य दिलाया जावे तथा वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 में से प्रतिवादी क्रम 1 सत्यनारायण का नाम विलोपित करते हुए सत्यनारायण के स्थान पर वादिया का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादिया को उक्त वादग्रस्त आराजी से बलपूर्वक बेदखल नहीं करे और न ही उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 के द्वारा वादिया का वाद डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए सिर्फ वादिनी की उपस्थिति में पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करें

परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे ।

6. उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सम्मन नोटिस प्राप्त हुए जिस पर अपीलान्ट ने जवाबदावा पेश किया, पत्रावली वास्ते दस्तावेजात एवं तनकीयात कायमी हेतु निहित थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखा गया । राजस्व लोक अदालत में एकतरफा निर्णय पारित किया गया जिसमें सिर्फ वादिया की उपस्थिति दर्शायी गयी है । अपीलान्ट को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अधिकार घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें निवेदन किया था कि वादिया के पुत्र एवं पति दोनों की मृत्यु हो चुकी है, वादग्रस्त आराजी पर वादिया ही अकेली वारिस के रूप में काबिज काश्त है । प्रतिवादी क्रम 1 सत्यनारायण ने अवैध रूप से वादिया के पुत्र रामकिशन का पुत्र बनकर इंतकाल खुलवा लिया है जो अवैध है। प्रतिवादी क्रम 1 सत्यानारायण, मांगीलाल का पुत्र है । इस इंतकाल के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर प्रतिवादी क्रम 1 सत्यनारायण वादिया को बेदखल करने पर आमादा था । वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इन तथ्यों के आधार पर हक घोषणा, विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेश संचिका दिनांक 08.01.2015 के अनुसार पत्रावली वास्ते दस्तावेजात एंव तनकीयात कायमी हेतु दिनांक 15.02.2015 के लिए नियत की गई थी इसके उपरान्त इसे दिनांक 20.04.2015 को दस्तावेजात एवं तनकीयात कायमी के लिए दिनांक 16.06.2015 को निहित की गई थी और दिनांक 11.06.2015 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखी गई । राजस्व लोक अदालत में सिर्फ वादिया उपस्थित हुई है और प्रतिवादीगण्सा में से सिर्फ प्रतिवादी क्रम 2 उपस्थित हुआ है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उभय पक्ष द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है फिर भी इसी दिनांक को दावा डिक्री कर दिया गया, जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान द्वारा विधिक रूप से राजीनामा पेश किया गया हो परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद का निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.8.18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा